

1[नियम 3 : केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, कानूनी निकाय या स्थानीय प्राधिकरण को विज्ञापन सेवाओं की पूर्ति की दशा में विभिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों से मूल्य के समनुपात का अवधारण (संविदा न होने की दशा में)]

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 12 की उपधारा (14) के अधीन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, कानूनी निकाय या स्थानीय प्राधिकरण को विज्ञापन सेवाओं की पूर्ति की दशा में विभिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों से मूल्य के समनुपात का अवधारण सेवा के पूर्तिकार और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच संविदा न होने की दशा में, निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :

- (क) समाचार-पत्रों और प्रकाशनों की दशा में किसी समाचार-पत्र या प्रकाशन, जो यथास्थिति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रकाशित किए जाते हैं, के सभी संस्करणों में किसी विज्ञापन के प्रकाशन के लिए संदेय रकम ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रसार के लिए विज्ञापन सेवाओं का मूल्य है।

दृष्टांत : कखग एक सरकारी अभिकरण है, जो सरकार के सभी विज्ञापन और प्रचार से व्यौहार करता है। इसके विभिन्न प्रकार के विज्ञापन से व्यौहार करने के लिए विभिन्न खंड है। उनको अग्रसर करने के लिए यह विभिन्न अभिकरणों और अस्तित्वों को आदेश जारी करता है। ये अभिकरण और अस्तित्व तत्पश्चात् सेवा उपलब्ध कराते हैं और तब कखग को, उनके द्वारा संदत्त रकम को उपदर्शित करते हुए बीजक जारी करते हैं। कखग घड.च समाचार-पत्र (जिसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है) के दिल्ली, पुणे, मुंबई, लखनऊ और जयपुर के संस्करणों में प्रकाशित किए जाने के लिए 'बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं' पर विज्ञापन के लिए समाचार-पत्र को आदेश जारी करता है। आदेश में समाचार-पत्र के ब्यौरे होंगे जैसे आवधिकता, भाषा, विज्ञापन का आकार और ऐसे समाचार-पत्र को संदत्त की जाने वाली रकम। इस सेवा की पूर्ति का स्थान दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश और राजस्थान राज्य होंगे। पूणे और मुंबई संस्करणों को संदत्त रकम महाराष्ट्र राज्य के लिए मूल्य के समानुपात का गठन करेगी, जो महाराष्ट्र में प्रसार के लिए होगी। इसी तरह दिल्ली, लखनऊ और जयपुर के संस्करणों को संदेय रकम क्रमशः संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में प्रसार के लिए मूल्य के समानुपात को नियत करेगी। घड.च को संस्करणों के आधार पर पृथक राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार बीजक जारी करने चाहिए।

- (ख) पुस्तिका, इश्तहार, डायरी, कलेंडर, टी-शर्ट आदि जैसी मुद्रित सामग्रियों की दशा में किसी विषिष्ट राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ऐसी सामग्री की विनिर्दिष्ट संख्या के वितरण की दशा में संदेय रकम यथास्थिति, ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ऐसे प्रसार के लिए विज्ञापन सेवा का मूल्य होगी।

दृष्टांत : 'स्वच्छ भारत' अभियान के एक भाग के रूप में कखग ने एक कंपनी छज को हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में वितरण के लिए एक लाख पुस्तिकाओं (एक लाख रुपए की लागत पर) का मुद्रण करने के लिए नियोजित किया। ऐसी दशा में कखग को तीन राज्यों अर्थात् हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में से प्रत्येक में पुस्तिकाओं के वितरण का संबंधित मंत्रालय या विभाग से मुद्रण आदेश देते समय पता लगाना चाहिए।

चलो यह मानते हैं कि यह विघटन क्रमशः बीस हजार, पचास हजार और तीस हजार है। इस विघटन को मुद्रण आदेश में उपदर्शित किया जाना चाहिए। इस सेवा की पूर्ति का स्थान

¹ अधिसूचना क्रमांक 12/2017-एकीकृत कर, दिनांक 15.11.2017 द्वारा नियम 3 अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। राजपत्र में शीर्षक नहीं दिया गया है। शीर्षक लेखक द्वारा दिया गया है।

एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017

हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। इस विघटन का अनुपात 2:5:3 इन तीन राज्यों में से प्रत्येक में प्रसार के मूल्य का आधार बनाएगा। छज द्वारा कखग को राज्यवार पृथक् बीजक जारी किए जाएंगे, जिसमें उस राज्य के संबंध में मूल्य को उपदर्शित किया जाएगा, अर्थात् बीस हजार रूपए—हरियाणा, पचास हजार रूपए —उत्तर प्रदेश और तीस हजार रूपए— राजस्थान।

- (ग) (i) रेलगाड़ियों पर होर्डिंग से भिन्न की दशा में, यथास्थिति, प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित होर्डिंगों के लिए संदेय रकम, यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रसार के लिए विज्ञापन सेवा का मूल्य होगी।

दृष्टांत : 'साक्षर भारत' अभियान के एक भाग के रूप में कखग ने एक फर्म झज को चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में विमानपत्तनों के नजदीक होर्डिंग लगाने के लिए नियोजित किया है। कखग द्वारा झज को जारी आदेश में ऐसे होर्डिंगों के लिए संदेय रकम का नगरवार, अवस्थितिवार विघटन होगा। इस सेवा की पूर्ति का स्थान संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल राज्य होंगे। ऐसी दशा में चार महानगरों में से प्रत्येक में होर्डिंगों के लिए झज को वास्तव में संदत्त रकम संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली और क्रमशः महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल राज्यों में प्रसार का मूल्य नियत करेगी। छज द्वारा कखग को राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार पृथक् बीजक जारी किए जाएंगे, जिसमें उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में मूल्य को उपदर्शित किया जाएगा।

- (ii) रेलगाड़ियों में किए गए विज्ञापनों की दशा में संदेय रकम, प्रत्येक राज्य में रेल पटरियों की लंबाई के अनुपात के आधार पर संगणित विघटन ऐसे विज्ञापनों के लिए, यथास्थिति, ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रसार के लिए विज्ञापन सेवा का मूल्य होगी।

दृष्टांत : 'जननी सुरक्षा योजना' के संबंध में कखग ने रेल गाड़ियों पर विज्ञापन किए जाने के लिए टठ को एक आदेश जारी दिया। किसी राज्य में एक रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी भिन्न होगी। अतः हजरत निजामुद्दीन—वास्कोडिगामा, गोवा एक्सप्रेस, जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा राज्यों से होकर गुजरती है, पर लगाए जाने वाले विज्ञापन की दशा में, टठ हजरत निजामुद्दीन से वास्कोडिगामा तक पटरियों की लंबाई का पता लगाने के साथ-साथ www.indianrail.gov.in वेबसाइट से इन प्रत्येक राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र में पटरियों की लंबाई का भी पता लगाएगा। इस सेवा की पूर्ति का स्थान संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा राज्यों में है। इनमें से प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में पूर्ति का मूल्य इन राज्यों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में पटरियों की लंबाई के अनुपात में प्रसार का मूल्य होगा। यदि यह अनुपात 0.5:0.5:2:2:3:3:1 में आता है और टठ को संदत्त की जाने वाली रकम एक लाख बीस हजार रूपए है तो कखग को दिए जाने वाले बीजक में टठ को सेवा के मूल्य का राज्यवार विघटन उपदर्शित करना होगा, जो प्रत्येक राज्य में पटरियों की लंबाई के अनुपात में होगा। दिए गए उदाहरण में राज्यवार विघटन दिल्ली (पांच हजार रूपए), हरियाणा (पांच हजार रूपए), उत्तर प्रदेश (बीस हजार रूपए), मध्य प्रदेश (बीस हजार रूपए), महाराष्ट्र (तीस हजार रूपए), कर्नाटक (तीस हजार रूपए) और गोवा (दस हजार रूपए) होता है। टठ द्वारा कखग को राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार पृथक् बीजक जारी किए जाएंगे, जिसमें उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में मूल्य को उपदर्शित किया जाएगा ;

- (घ) (i) तेल और गैस कंपनियों आदि के उपयोगिता बिलों के पृष्ठ भाग पर विज्ञापनों की दशा में उपभोक्ताओं, जिनका, यथास्थिति, ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में बिल भेजे

एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017

जाने का पता है, से संबंधित बिलों पर विज्ञापनों के लिए संदेय रकम ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रसार के लिए विज्ञापन सेवाओं का मूल्य होगी।

- (ii) रेलगाड़ियों के टिकटों पर विज्ञापन की दशा में प्रत्येक राज्य में रेलवे स्टेशनों की संख्या के अनुपात के आधार पर संगणित विघटन, जब ऐसे विज्ञापनों के लिए संदेय रकम को लागू किया जाता है, यथास्थिति, ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रसार के लिए विज्ञापन सेवा का मूल्य होगा।

दृष्टांत : 'उज्जवला' स्कीम के संबंध में रेलगाड़ियों की टिकटों पर, जिनका विक्रय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में सभी स्टेशनों से किया जाता है, विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए कखग ने डढ़ को एक आदेश जारी किया है। इस सेवा की पूर्ति का स्थान मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। इन दो राज्यों में विज्ञापन सेवाओं का मूल्य रेलवे द्वारा या www.indianrail.gov.in वेबसाइट से पता लगाए गए अनुसार प्रत्येक राज्य में रेलवे स्टेशनों की संख्या के अनुपात में होगा। चलो यह मानते हैं कि यह अनुपात 713:251 है और कुल बिल नौ हजार छह सौ चालीस रूपए है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच 713:251 के अनुपात में इस रकम का विघटन क्रमशः सात हजार एक सौ तीस रूपए और दो हजार पांच सौ दस रूपए होता है। डढ़ द्वारा कखग को राज्यवार पृथक् बीजक जारी किए जाएंगे, जिसमें उस राज्य के संबंध में मूल्य को उपदर्शित किया जाएगा ;

- (ड.) रेडियो स्टेशनों से विज्ञापनों की दशा में, ऐसे रेडियो स्टेशन को, जो अपने नाम के कारण, यथास्थिति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का भाग है, को संदेय रकम, यथास्थिति, ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रसार के लिए विज्ञापन सेवा का मूल्य होगी।

दृष्टांत : प्रधानमंत्री उज्जवला योजना' पर किसी गत एफएम रेडियो पर प्रसारित विज्ञापन के लिए गत कोलकाता, गत भुवनेश्वर, गत पटना, गत रांची और गत दिल्ली नगरों में कखग द्वारा जारी आदेश में उस रकम के विघटन को उपदर्शित किया जाएगा, जो इनमें से प्रत्येक रेडियो स्टेशन को संदत्त की जानी है। इस सेवा की पूर्ति का स्थान पश्चिमी बंगाल, ओडिसा, बिहार, झारखंड और दिल्ली में है। गत दिल्ली की पूर्ति का स्थान दिल्ली में है यद्यपि भौतिक रूप से स्टूडियो किसी अन्य राज्य में अवस्थित हो सकेगा। डढ़ द्वारा कखग को प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में मूल्य का आधार पर राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार पृथक् बीजक जारी किए जाएंगे, जिसमें उस राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में मूल्य को उपदर्शित किया जाएगा ;

- (च) दूरदर्शन चैनलों पर विज्ञापन की दशा में किसी राज्य में प्रसारित विज्ञापन सेवा के मूल्य की रकम का मूल्य ऐसे राज्य में ऐसे चैनल के दर्शकों की संख्या के आधार पर संगणित किया जाएगा, जिसकी संगणना निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात् :

- (i) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए उस चैनल के चैनल दर्शकों की संख्या प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद् द्वारा इस संबंध में प्रकाशित आंकड़ों से ली जाएगी;
- (ii) किसी दी गई तिमाही के पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित आंकड़ों का उपयोग उत्तरवर्ती तिमाही के लिए दर्शकों की संगणना करने के लिए किया जाएगा और आरम्भ में 1 जुलाई, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 की तिमाही के लिए आंकड़ों का उपयोग 1 अक्टूबर, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 की पश्चात्वर्ती तिमाही के लिए किया जाएगा;
- (iii) जहां ऐसे चैनल दर्शक आंकड़े ऐसे क्षेत्र से संबंधित हैं, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से मिलकर बना है तो उस क्षेत्र के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए दर्शक आंकड़ों की संगणना अंतिम जनगणना द्वारा यथा अवधारित उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की जनसंख्याओं के अनुपात को ऐसे दर्शकों के आंकड़ों पर लागू करके की जाएगी;
- (iv) इस प्रकार संगणित प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए दर्शकों के आंकड़ों का अनुपात जब उसे उस सेवा के लिए संदेय रकम पर लागू किया जाता है, तो वह

एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017

उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रसार के लिए लागू मूल्य के समनुपात का प्रतिनिधित्व करेगा।

दृष्टांत : कखग 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' से संबंधित विज्ञापन प्रसारित करने के लिए थद चैनल को नवम्बर, 2017 में एक आदेश जारी करता है। पहले चरण में इसका प्रसारण संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड राज्यों में किया जाएगा। इस सेवा की पूर्ति का स्थान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में पूर्ति के मूल्य की संगणना करने के लिए थद को नीचे दिए अनुसार अग्रसर होना है—

- I. थद प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद् से सितम्बर, 2017 के अंतिम सप्ताह में उनके चैनल के लिए दर्शकों के आंकड़ों का पता लगाएगा। चलो यह मानते हैं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए यह दो लाख तथा बिहार और झारखंड क्षेत्र के लिए एक लाख है;
 - II. क्योंकि प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद् ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को एक क्षेत्र में और बिहार तथा झारखंड को दूसरे क्षेत्र में मिलाया है तब से थद अद्यतन जनगणना से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के लिए जनसंख्या आंकड़ा सुनिश्चित करेगा;
 - III. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनसंख्या के अनुपात से इस क्षेत्र में उनके चैनल के लिए प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद् की उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का आंकड़ा और उन दर्शकों के आंकड़े के अनुपात की संगणना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के यथा अभिनिश्चित आंकड़े को लागू करके की जाएगी। माना कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनसंख्या का अनुपात 9:1 है, जब यह अनुपात इस क्षेत्र के दो लाख के दर्शक आंकड़े को लागू होगा तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए दर्शक आंकड़ा क्रमशः एक लाख अस्सी हजार और बीस हजार होगा;
 - IV. समान रीति में बिहार और झारखंड के दर्शक आंकड़े का विघटन कर संगणित किया जा सकता है। माना कि जनसंख्या का अनुपात 4:1 है और जब यह इस क्षेत्र का एक लाख के दर्शक आंकड़े पर लागू होगा तो बिहार और झारखंड का दर्शक आंकड़ा क्रमशः अस्सी हजार और बीस हजार आएगा;
 - V. प्रत्येक राज्य के लिए दर्शक आंकड़ा, दिल्ली (एक लाख), उत्तर प्रदेश (एक लाख अस्सी हजार), उत्तराखंड (बीस हजार), बिहार (अस्सी हजार) और झारखंड (बीस हजार) है। यह अनुपात इस प्रकार से 10:18:2:8:2 है या 5:9:1:4:1 (सरल रूप में)।
 - VI. प्रत्येक राज्य की रकम के विघटन को दर्शित करते समय यह अनुपात लागू किया जाना है। इस प्रकार यदि कखग द्वारा थद को संदेय कुल रकम बीस लाख रुपए है तो राज्यवार विघटन पांच लाख रुपए (दिल्ली), नौ लाख रुपए (उत्तर प्रदेश), एक लाख रुपए (उत्तराखंड), चार लाख रुपए (बिहार) और एक लाख रुपए (झारखंड) होगा। थद द्वारा कखग को राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार पृथक बीजक जारी किए जाएंगे, जिसमें उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में मूल्य को उपदर्शित किया जाएगा;
- (छ) सिनेमा हॉलों में विज्ञापन की दशा में सिनेमा हाल या मल्टीप्लैक्स में स्क्रीनों के लिए संदेय रकम यथास्थिति राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में यथास्थिति प्रचार के लिए विज्ञापन सेवा का मूल्य है।

दृष्टांत : कखग "प्रधानमंत्री आवास योजना" पर विज्ञापन जिसे चैन्नई और हैदराबाद के सिनेमा हॉल में प्रदर्शित किए जाने पर धन लगाना है। इस सेवा के प्रदाय का स्थान तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य हैं। तमिलनाडु और तेलंगाना में यथास्थिति सिनेमा हाल या मल्टीप्लैक्स की स्क्रीन पर वास्तविक संदत्त रकम क्रमशः तमिलनाडु और तेलंगाना में विज्ञापन सेवा का मूल्य है। धन जब कखग को बीजक जारी करे जब उसे तमिलनाडु और

एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017

तेलगांना के लिए रकम का विघटन प्रदर्शित करना चाहिए। धन द्वारा कखग को राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार पृथक बीजक जारी किए जाएंगे, जिसमें उस राज्य के संबंध में मूल्य को उपदर्शित किया जाएगा;

(ज) इंटरनेट पर विज्ञापन की दशा में ²[सेवा संपूर्ण भारत में प्रदान की गई समझी जाएगी और] राज्य में प्रसारित विज्ञापन सेवा के मूल्य के लिए आरोप्य रकम यथास्थिति ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में इंटरनेट अभिदाताओं के आधार पर संगणित की जानी चाहिए जो निम्नलिखित रीति में संगणित की जाएगी, अर्थात्:

- (i) राज्य के लिये इंटरनेट अभिदाताओं का आंकड़ा भारत के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में प्रकाशित आंकड़ों से ली जाएगी;
- (ii) दिए गए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रकाशित आंकड़ा अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए इंटरनेट अभिदाताओं के आंकड़ों को संगणित करने में प्रयोग की जाएगी और वित्त वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही के आंकड़े उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रयोग किए जाएंगे;
- (iii) जहां ऐसे इंटरनेट ग्राहक का आंकड़ा एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को मिलाकर बनाए क्षेत्र से संबंधित है तो उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के उस क्षेत्र के लिए ग्राहक आंकड़ा ऐसे दर्शक आंकड़े के लिए अद्यतन जनसंख्या में यथा अवधारित रूप में उस राज्य या संघ राज्य की जनसंख्या के अनुपात लागू कर संगणित किया जाएगा;
- (iv) इस प्रकार संगणित प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए अभिदाता आंकड़े का अनुपात जब इस सेवा के लिए संदेय रकम को लागू होगा, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रसारण के लिए आरोप्य मूल्य के भाग को प्रदर्शित करेगा।

दृष्टांत : कखग के मुद्दे को एक बैंक खाता और मोबाइल नंबर से आधार को जोड़े जाने सम्बन्ध को इंटरनेट के ऊपर एक अभियान के लिए बभ को एक आदेश जारी किया है। बभ ने इस अभियान को वेबसाइटों पर फैलाया है। इस सेवा की कीमत के राज्यवार विघटन को सुनिश्चित करने के क्रम में जो कखग के लिए बभ द्वारा जारी की गई बीजक में प्रभावित होती है। बभ ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को उसकी वेबसाइट www.trai.gov.in पर दर्शित किए जाने के रूप में मार्च, 2017 की समाप्ति के लिए आंकड़ों को पहले निर्देश किया है। ये आंकड़े क्षेत्रवार इंटरनेट ग्राहकों की सेवा को दर्शित करते हैं। बाईस सेवा क्षेत्र है। कुछ व्यष्टिक राज्यों से संबंधित हैं; कुछ दो या अधिक राज्यों के लिए है तथा कुछ एक राज्य के भाग तथा अन्य पूर्ण राज्य के लिए है। कुछ क्षेत्र महानगर पालिका क्षेत्र है। राज्यवार विघटन की गणना के क्रम में, पहले इंटरनेट ग्राहकों की संख्या का राज्यवार विघटन पर पहुंच गया है) एक या राज्यों के इंटरनेट ग्राहकों के आंकड़ों के मामले सम्मिलित हो गए हैं, प्रत्येक राज्य में अंशदाता नवीनतम जनगणना के अनुसार राज्यों की सम्बद्ध जनसंख्या के अनुपात में लागू किए जाने के द्वारा पहुंच गई है एक बार प्रत्येक राज्य के लिए ग्राहकों की वास्तविक संख्या सुनिश्चित हो जाती है, बभ के लिए दूसरा उपाय इंटरनेट ग्राहकों के राज्यवार अनुपात की गणना सम्मिलित किया जाता है। हमें यह मान लेना है कि यह कार्य 8:1:2..... और इत्यादि है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम..... और इत्यादि के लिए है। बभ के लिए तीसरा कदम इन अनुपातों को बभ को संदेय कुल रकम पर लागू करना होगा, ताकि प्रत्येक राज्य के लिए मूल्य का पता लगाया जा सके। बभ द्वारा कखग को राज्यवार और संघ क्षेत्रवार पृथक बीजक

2 एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018, द्वारा अंतःस्थापित अधिसूचना क्रमांक 4/2018-एकीकृत कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा दिनांक 01.01.2019 से प्रभावशील किया गया।

एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017

जारी किए जाएंगे, जिसमें उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में मूल्य को उपदर्शित किया जाएगा।

(i) संक्षिप्त सूचना सेवा के माध्यम से विज्ञापन के मामले में यथास्थिति राज्य संघ राज्य क्षेत्र में फैलाने वाली सेवा के विज्ञापन की मूल्य के लिए मानी जा सकने वाली रकम ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में दूरसंचार ग्राहकों के आधार पर गणना की जाएगी जिसके बदले में निम्नलिखित रीति में गणना की जाएगी, अर्थात् :

(i) दूरसंचार मंडल में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की अपनी वेबसाइट www.trai.gov.in द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से सुनिश्चित की जाएगी;

(ii) दी गई तिमाही में लिए प्रकाशित किए गए आंकड़े उत्तरवर्ती तिमाही के लिए ग्राहकों की गणना के लिए प्रयोग किए जाएंगे। 1 जुलाई, 2017 से 30, सितम्बर, 2017 की तिमाही के आंकड़े 1 अक्टूबर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 की उत्तरवर्ती तिमाही के लिए प्रयोग किए जाएंगे;

(iii) जहां ऐसे आंकड़े एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की तुलना में दूरसंचार मंडल से सम्बन्धित होते हैं, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए ग्राहक आंकड़ा, ऐसे ग्राहक आंकड़ों के लिए नवीनतम जनगणना में यथावधारित के रूप में उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में लागू करने के द्वारा गणना की जाएगी।

दृष्टांत 1 : असम दूरसंचार मंडल के मामले में, असम दूरसंचार मंडल के लिए मानी जाने वाली रकम, असम में प्रचार सेवा की मूल्य है।

दृष्टांत 2 : पूर्वोत्तर दूरसंचार मंडल अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, मणिपुर और त्रिपुरा को अच्छादित करता है। नवीनतम जनगणना में इन राज्यों की प्रत्येक की जनसंख्या का अनुपात अवधारित करेगा तथा यह अनुपात इस दूरसंचार मंडल के लिए ग्राहकों की कुल संख्या पर लागू होगा जिससे कि दूरसंचार ग्राहकों के राज्यवार आंकड़े पर पहुंच हो सके। सेवा प्रदाता कखग के लिए अपने बीजक में, संक्षिप्त सूचना सेवा प्रदान करने के लिए प्रभार्य कुल रकम के राज्यवार विघटन को दर्शित करेंगे। राज्यवार विघटन की दृष्टांत में यथा विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता द्वारा गणना की जाएगी।

दृष्टांत 3 : कखग आयोग पफ मतदाताओं को संक्षिप्त सूचना सेवा को भेजने के लिए महाराष्ट्र और गोवा में आयोजित निर्वाचनों में अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उनसे पूछना है। इस सेवा की आपूर्ति का स्थान, महाराष्ट्र और गोवा है। महाराष्ट्र दूरसंचार मंडल, महाराष्ट्र राज्य (मुंबई द्वारा आच्छाति क्षेत्र को छोड़कर, जिसमें अन्य मंडल के प्ररूप है) तथा गोवा राज्य से मिलकर बना है। जब महाराष्ट्र तथा गोवा से मिलकर बनने वाले ग्राहकों की संख्या की गणना की जाती है, पफ निम्नलिखित करती है,—

I. महाराष्ट्र मंडल और गोवा मंडल के लिए ग्राहकों के आंकड़े को अभिप्राप्त करना और ग्राहकों के सम्मिलित आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए उनको सम्मिलित करना;

एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017

- II. नवीनतम जनगणना से महाराष्ट्र और गोवा की जनसंख्या के आंकड़े तथा इन दो जनसंख्या के अनुपात के अभियान को प्राप्त करना;
- III. यह अनुपात ग्राहकों के सम्मिलित आंकड़े पर लागू किया गया होगा जिनसे कि महाराष्ट्र और गोवा से मिलकर बनने वाले ग्राहकों के पृथक् आंकड़ों पर पहुंच हो सके;
- IV. इन ग्राहकों के अनुपात को, जब महाराष्ट्र मंडल और मुम्बई मंडल में संक्षिप्त सूचना सेवा के लिए संदेय रकम पर लागू किया जाता है, तो इससे महाराष्ट्र और गोवा के संबंध में रकम का विघटन नियत होगा। पफ द्वारा कखग को राज्यवार पृथक् बीजक जारी किए जाएंगे, जिसमें उस राज्य के संबंध में मूल्य को उपदर्शित किया जाएगा।

दृष्टांत 4: आंध्र प्रदेश का दूरसंचार मंडल, आंध्र प्रदेश राज्य, के क्षेत्र तेलंगाना और यनम, जो कि पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र का एक क्षेत्र है, से मिलकर बनता है। तेलंगाना और यनम के ग्राहकों को, आंध्र प्रदेश से संबंधित ग्राहकों की संगणना करते समय अपवर्जित किया जाएगा।

- (iv) गणना के रूप में प्रत्येक राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के लिए ग्राहक के आंकड़ों का अनुपात, उस सेवा के लिए संदेय रकम पर जब लागू किया जाता है, उस राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र में प्रसार करने के लिए उस सीमा तक पहुंच की कीमत के भाग को प्रस्तुत करेगा।]